

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

बेज नम्बर 24-25

दक्षिण मार्ग, सेक्टर 31 ए

चण्डीगढ़-160030

दिनांक: 12.07.2017

F.No. -: 9-HRB092/2017-CHA

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),

हरियाणा सरकार,

हरियाणा सिविल सचिवालय,

चण्डीगढ़-160001

विषय:- Diversion of 0.0058 ha. of forest land for access to M/s J.P. & Sons Indane LPG Gas Cylinder Storage Godown along Kohand-Assandh road (MDR 114) RD 21.322, R/side, at Village Ballah, under forest division and District Karnal, Haryana.

महोदय,

1 प्रधान सचिव वन के पत्र क्रमांक 7088/451 दिनांक 17.05.17

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भित पत्र एवं ऑनलाइन प्रोजेक्ट नंबर FP/Others/24981/2017 का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अनुमति मांगी गई है। प्रस्ताव में इस कार्यालय के सम संख्यक पत्र संख्या दिनांक 16.06.17 द्वारा सैधानिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिस की अनुपालना नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (FC) के पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन 7088/961 दिनांक 03.07.17 द्वारा प्राप्त होने के उपरांत केंद्र सरकार उपर्युक्त विषय हेतु 0.0058 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान करती है।

- i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. प्रस्ताव के अनुसार कोई वृक्ष/पौधा बाधक नहीं है इसलिए कोई वृक्ष नहीं काटा जायेगा।
- iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार 53C/14 Drain No. 2, Nainpal Dera to Dadlana bridge L/side, पर प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 37,334 रुपये (**Rupees Thirty Seven Thousand Three Hundred & Thirty Four Only**) की राशि से 50 पौधे लगाकर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- iv. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- v. जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बड़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
- vi. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।

- vii. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- viii. केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- ix. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- x. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें प्रयोक्ता एजेंसी के खर्च पर 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी। प्रत्येक खम्बों पर क्रम संख्या, डी०जी०पी०एस०निर्देशांक तथा एक खम्बों से दूसरे खम्बों की दूरी आगे तथा पीछे लिखी जायेगी।
- xi. कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
- xii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीव का संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय - समय पर लगाई जा सकती है।
- xiii. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

3. मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी।

भवदीय


(सी.डी. सिंह) 13/7/2017

अ. प्र. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, इन्द्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा सरकार, C-18, वन भवन सैक्टर 6, पंचकुला हरियाणा।
3. Divisional Forest Officer, Forest Division and Distt. Karnal, Haryana.
4. M/s J.P. & Sons Indane, Kohand Assandh road (MDR 114) RD 21.322, R/s at village Ballah, Karnal.